

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

28 रा० (विभाग)

सं०सं०-म०नि०-II-उ०यो०-51/2017-18/

/मत्स्य, राँची, दिनांक 26/09/2019

प्रेषक,

पूजा सिंघल, भा० प्र० से०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक

रूप से परामर्शित

महालेखाकार

झारखण्ड, राँची ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार* ।

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 में मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना का मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन के तहत कुल मो० 805.00 लाख (आठ करोड पाँच लाख) रू० मात्र के अनुमानित लागत की स्वीकृति एवं व्यय के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषयक सामान्य विभागीय राज्यादेश सं० 06 रा० (विभाग) दिनांक 07.05.2018 एवं ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं० 317 दिनांक 08.05.2018 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में संलग्न ऑन लाईन स्वीकृत्यादेश सं० 1492 के द्वारा राज्य योजना अंतर्गत कुल मो० 805.00 लाख (आठ करोड पाँच लाख) रू० मात्र की अनुमानित लागत पर मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन के तहत मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की है।

2. इस योजना अंतर्गत मत्स्य मित्रों के द्वारा मछुआरों/ मत्स्य कृषकों तथा इस कार्य से संबद्ध व्यक्तियों के सूचिकरण एवं उनके बैंक खाते के आधार सीडिंग हेतु मत्स्य कृषकों का सर्वे, केज मित्रों के द्वारा सूचना संग्रहण एवं तकनीकी सहायता, विभागीय जलक्षेत्र में मिश्रित मत्स्य पालन, मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य मित्रों से सीधे संवाद हेतु मोबाईल रिचार्ज कूपन, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अमूर कार्प/जयंति रोहू के बीज का संचयन, जलाशय स्तरीय मछुआरों के लिए आईडेंटिटी कार्ड (डेटा सहित), 55000 मत्स्य कृषकों के साथ वर्ष में दो बार गोष्ठी, प्रगतिशील मत्स्य कृषकों/बीज उत्पादकों को पुरस्कार/सम्मान आदि कार्य किये जायेंगे। साथ ही 7500 मत्स्य बीज उत्पादकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण तथा 8000 मत्स्य बीज उत्पादकों का तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन एवं 10000 मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/बीज उत्पादकों/अग्रणी मत्स्य पालकों का पाँच दिवसीय प्रशिक्षण तथा विभिन्न मत्स्य अनुसंधान कार्य के साथ अन्य स्वीकृत कार्यों पर व्यय किया जायेगा। तदनुसार संलग्न परिशिष्ट I, II, III, IV एवं V में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुसार योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन अंतर्गत निम्न लघु शीर्षों में बजट में उपबंधित राशि से विभिन्न मदों में किया जायेगा, जिसके लिए समुचित योजना उद्ब्यय एवं संबंधित लघु शीर्षों में राशि का बजट उपबन्ध प्राप्त है:

मार्क

TO

due

मॉग सं0-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) - मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना का मद एवं विपत्र कोड (राशि लाख ₹0 में)

क्रमांक	लघु शीर्ष -101- अन्तर्देशीय मछली पालन	स्वीकृत राशि
	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	
1	09 मानदेय 53S240500101200109	17.69
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	
2	21 प्रचार/प्रसार/सेमिनार 53S240500101200321	33.00
3	23 आपूर्ति एवं सामग्री 53S240500101200323	95.70
4	35 प्रशिक्षण व्यय 53S240500101200335	122.77
	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय	
5	59 अन्य व्यय 53S240500101200759	55.50
	उप योग :	324.66
	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	
1	09 मानदेय 53S240500789200109	1.00
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	
2	23 आपूर्ति एवं सामग्री 53S240500789200323	13.60
3	35 प्रशिक्षण व्यय 53S240500789200335	39.66
	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय	
4	59 अन्य व्यय 53S240500789200759	9.00
	उप योग :	63.26
	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना	
	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	
1	09 मानदेय 53S240500796200109	21.38
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	
2	21 प्रचार/प्रसार/सेमिनार/ 53S240500796200321	84.14
3	23 आपूर्ति एवं सामग्री 53S240500796200323	93.60
4	35 प्रशिक्षण व्यय 53S240500796200335	147.46
	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय	
5	59 अन्य व्यय 53S240500796200759	70.50
	उप योग :	417.08
तीनों लघु शीर्षों में स्वीकृत राशि का सकल योग- 805.00 लाख ₹0 (आठ करोड़ पाँच लाख ₹0) मात्र।		

4. (क) वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना की सृजित देनदारियाँ जिनका भुगतान कतिपय कारणों से लंबित रहा है, का भुगतान, विधिवत जाँचोपरांत इस राज्यादेश के अधीन किया जा सकेगा। देनदारियों का सृजन स्वीकृत कार्यों के वास्तविक निष्पादन के उपरान्त हुआ है, इसकी विधिवत समीक्षा और इसकी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(ख) मत्स्य मित्रों के द्वारा मछुआरों/ मत्स्य कृषकों तथा इस कार्य से संबद्ध व्यक्तियों के सूचिकरण एवं उनके बैंक खाते के आधार सीडिंग हेतु मत्स्य कृषकों का सर्वे करा कर प्राप्त सूचनाओं को सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी के रूप में सभी जिला मत्स्य कार्यालयों में सुरक्षित रखा जायेगा।

र.ली

(ग) केज कल्चर के स्थलों से सूचनाओं की प्राप्ति एवं आँकड़ों के संधारण हेतु मत्स्य मित्र की तर्ज पर केज मत्स्य मित्र कार्य करेंगे। इनके द्वारा केज स्थल पर जाकर सूचना संग्रहण किया जायेगा एवं तकनीकी सहायता का आदान प्रदान किया जायेगा। निदेशक मत्स्य द्वारा इसके लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में निदेशालय पत्रांक 1546 दिनांक 13.08.2018 द्वारा दिशा निदेश एवं प्रपत्र संबंधित जिलों को निर्गत किया गया है।

(घ) विभागीय तालाबों में सघन मिश्रित मत्स्य पालन का प्रत्यक्षण किया जायेगा, जिस पर प्रति एकड़ 40,000/- रु0 मात्र व्यय किये जायेंगे एवं उत्पादित मछली का जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति से बिक्री मूल्य निर्धारित कराकर बिक्री की जायगी तथा राशि कोषागार में जमा होगी।

(ङ) वर्ष 2017-18 के मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना के स्वीकृत राज्यादेश सं0 06 दिनांक 15.04.2017 के आलोक में मोबाईल रिचार्ज कूपन हेतु राशि व्यय की जायेगी।

(च) अमूर कार्प/जयंती रोहू के बीज का संचयन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जायेगा।

(छ) जलाशय स्तरीय 22,000 मछुआरों के लिए आईडेन्टिटी कार्ड (डेटा सहित) हेतु राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्ड पर जिला मत्स्य पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा एवं संबंधित सभी सूचनाएँ जिला मत्स्य कार्यालय में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में सुरक्षित रखी जायेंगी।

(ज) प्रचार/प्रसार/सेमिनार/मेला/प्रदर्शनी/डॉक्यूमेंटरी फिल्म/बुकलेट/डाटा इण्ट्री तथा फोटोग्राफी आदि कार्यों के लिये भी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। मत्स्य कृषकों के सर्वेक्षण हेतु डाटा इंट्री कार्य अथवा आवश्यक सॉफ्टवेयर का विकास भी इस राशि से कराया जायेगा।

(झ) राज्य, पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर मत्स्य पालकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष में दो बार गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा, जिसपर 100/-रु0 प्रतिदिन प्रति मत्स्य पालक की दर से राशि व्यय की जायेगी।



(ञ) उत्कृष्ट मत्स्य कृषकों, मत्स्य मित्रों तथा मत्स्य बीज उत्पादकों, आर0एफ0एफ0 समूहों, केज पालकों, हैचरी संचालकों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिये पुरस्कार स्वरूप/ सम्मानित करने हेतु अधिकतम राशि 30,000/-रु0 प्रति चयनित कृषक पुरस्कार के रूप में प्रचार-प्रसार एवं विपणन हेतु मोटरसाईकिल अथवा मोपेड के साथ आईस बॉक्स/डीप फ्रिजर के क्रय हेतु प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

लाभुकों का चयन समाचार पत्र में विज्ञापन के उपरान्त प्राप्त आवेदनों में से जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा एवं सचिका के माध्यम से संबंधित जिले के उपायुक्त को अवगत कराया जाएगा।

5. संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे लाभुकों द्वारा किये गये कार्यों से संबंधित स्थल जाँच एवं ठोस कागजाती सबूत देख कर संतुष्ट होने के बाद ही मानदेय एवं वाहन का प्रावधान तथा राशि का भुगतान करेंगे।

6. परिशिष्ट-IV में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

10/11

क. राज्य में मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं मत्स्य बीज उत्पादकों को अद्यतन तकनीक से अवगत कराने एवं उनकी समस्याओं के निदान हेतु 7500 बीज उत्पादकों के लिये विभिन्न सत्रों में तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। मत्स्य बीज उत्पादकों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण के आयोजन हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम 225/-₹ की दर से राशि व्यय की जायेगी एवं मार्ग व्यय तथा आवासन पर व्यय प्रशिक्षणार्थी द्वारा स्वयं किया जायेगा।

ख. मत्स्य बीज उत्पादकों के तीन दिवसीय कार्यशाला तथा रिफ्रेसर कोर्स के आयोजन हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम 1225/-₹ की दर से राशि आकलित की गई है। इसमें 200/-₹ की राशि प्रतिदिन की दर से प्रति बीज उत्पादक को एवं संस्थागत व्यय के रूप में 75/-₹ प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन तथा प्रशिक्षणार्थियों को आने-जाने हेतु अधिकतम प्रति प्रशिक्षणार्थी 400/-₹ अथवा वास्तविक भाड़ा जो भी कम हो, का भुगतान किया जायेगा। कार्यशाला की राशि से आवश्यकतानुसार आर0एफ0एफ0 लाभुक समूहों, केज मत्स्य पालकों, हैचरी संचालकों तथा मत्स्य विक्रेताओं के समूहों की भी कार्यशाला का आयोजन किया जा सकेगा।

ग. मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/बीज उत्पादकों/अग्रणी मत्स्य पालकों को राज्य में मछली पालन की नवीन तकनीक एवं विधियों से अवगत कराने हेतु पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिये प्रशिक्षणार्थियों को यात्रा एवं मानदेय का भुगतान सभी वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जायगा। प्रति प्रशिक्षणार्थी 200/-₹ प्रतिदिन की अनुमानित दर से 1000/-₹ प्रति प्रशिक्षणार्थी को भुगतान किया जायेगा एवं 75/-₹ प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति दिन अनुमानित संस्थागत व्यय के रूप में प्रशिक्षण सत्र आयोजन, अतिथि व्याख्याताओं को मानदेय एवं प्रशिक्षणार्थियों हेतु फोल्डर आदि पर व्यय की जायेगी। प्रशिक्षणार्थियों को अधिकतम 400/-₹ मार्ग व्यय (अथवा वास्तविक भाड़ा जो भी कम हो, जिला मुख्यालय से मुख्यालय राँची तक) भुगतान किया जायेगा।

प्रगतिशील मत्स्य कृषकों को राज्य के बाहर तथा राज्य में संचालित विशेष परियोजनाओं/स्कीम्स के स्थल भ्रमण/प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा, जिसमें प्रशिक्षण भत्ता के साथ-साथ वास्तविक मार्ग व्यय यथा समेकित वाहन-भाड़ा/बस भाड़ा अथवा ट्रेन का स्लीपर श्रेणी का भाड़ा का वहन सभी वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जायेगा। राज्य के बाहर स्थानीय परिभ्रमण, प्रशिक्षण की संस्था द्वारा मॉंगा गया संस्थागत व्यय भी अनुमान्य होगा।

इस योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण मद में स्वीकृत राशि से विभागीय पदाधिकारियों/कर्मियों के राज्य में तथा राज्य के बाहर प्रशिक्षण पर भी आवश्यकता अनुसार राशि व्यय की जा सकेगी तथा उनके वेतनमान के अनुरूप वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार राशि का भुगतान यात्रा मद एवं प्रशिक्षण मद में किया जायेगा।

घ. झारखण्ड सरकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा निर्गत विभागीय संकल्प सं0-773 दिनांक 20.06.2013 के तहत मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/मत्स्य बीज उत्पादकों के प्रशिक्षण हेतु चयन अथवा अनुशंसा का प्रत्यायोजन स्तर ग्राम पंचायत होगी एवं इसके संपादन में जिला मत्स्य पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/प्रशिक्षित मत्स्य मित्र आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

7. इस योजना अंतर्गत 3 प्रतिशत तक दिव्यांग नीति, झारखण्ड के तहत इच्छुक दिव्यांगों को लाभान्वित किया जा सकेगा।

1/11

8. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान नव-चयनित मत्स्य मित्रों/मत्स्य कृषकों को पाँच दिनों का प्रशिक्षण देते हुए तत्संबंधी सूची को एक पुस्तिका के रूप में संकलित करते हुए प्रकाशित किया जाये ताकि समय-समय पर इन मत्स्य मित्रों/मत्स्य कृषकों से सम्पर्क करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

9. परिशिष्ट-V में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप मत्स्य अनुसंधान कार्य किया जायेगा :

क. मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र में पंगेशियस मछली का प्रत्यक्षण : फ़ैक्ट्री फ़ॉर्मूलेटेड फ़ीड का उपयोग कर शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र अवस्थित तालाबों में पाँच टन पंगेशियस मछली के उत्पादन का लक्ष्य है जिसमें 40/- रु0 प्रति किलोग्राम की अनुमानित दर से कुल मो0 2.00 लाख रु0 मात्र का व्यय किया जायेगा एवं प्राप्त मछलियों का जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित दर पर बिक्री की जायगी।

ख. परिशिष्ट-V में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाई हेतु महिलाओं को पूरक सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।

ग. प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं म्यूजियम के रख-रखाव, विभागीय तालाबों में देशी मांगुर, कवई आदि अन्य नई मत्स्य प्रजातियों के प्रायोगिक पालन, विभागीय प्रक्षेत्रों में पंगेशियस मत्स्य बीज उत्पादन हेतु ब्रूडर की तैयारी तथा मत्स्य विपणन/मत्स्य रोग पहचान एवं निदान आदि के लिए आई0टी0- बेस्ड कार्यक्रम/मत्स्य निदेशालय के वेबसाईट का रख-रखाव/मोबाईल एप्प विकसित कराया जायेगा।

10. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी), जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी), सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची होंगे जो राशि की निकासी दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।

11. योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे जो सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा समय-समय पर आवश्यक निदेश योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु निर्गत करेंगे।

12. आपूर्ति एवं सामग्री मद से आवश्यक क्रय वित्त विभाग द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जायेगा।

13. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर दर निर्धारित करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

14. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

15. वित्तीय वर्ष 2018-19 में मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2405 एवं 4405 में कुल स्वीकृत राशि मो0 1180.00 लाख रु0 मात्र के विरुद्ध मो0 987.87 लाख रु0 मात्र का व्यय किया गया है।


10/11





16. वित्तीय वर्ष 2018-19 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के उपरांत ही वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटन निर्गत किया जायेगा।
17. इस योजना अन्तर्गत सामग्री इत्यादि के क्रय में वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा स्थापित प्रक्रिया/शर्तों/नियमों का सुदृढतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
18. वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपलब्ध बजटीय उपबंध के अन्तर्गत ही व्यय होगा।
19. इस योजना के अन्तर्गत कोई अग्रिम समायोजन हेतु लंबित नहीं है।
20. यह पूर्णतः राज्य योजना है।
21. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं०-सी०एस०-2/आर०-01-2005-301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा प्रशासी विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा इस योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् से प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।
22. स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त है।
23. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
24. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।


विश्वासभाजन


(पूजा सिंघल)

सरकार के सचिव


ज्ञापांक २४२१० (विभाग) मत्स्य / रॉची, दिनांक २६/०९/२०१९

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव


ज्ञापांक २४२१० (विभाग) मत्स्य / रॉची, दिनांक २६/०९/२०१९

प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी), जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी), सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, रॉची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव


ज्ञापांक २४२१० (विभाग) मत्स्य / रॉची, दिनांक २६/०९/२०१९

प्रतिलिपि : संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक २४२१० (विभाग) मत्स्य / रॉची, दिनांक २६/०९/२०१९

प्रतिलिपि : योजना सह वित्त विभाग (बजट शाखा वित्त प्रभाग), झारखण्ड, रॉची/आ० वि० सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त/माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव

373

परिशिष्ट I
 वित्तीय वर्ष 2019-20 में मांग संख्या-53-कृषि, मधुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रशाग) मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-
 उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत वित्तवाह शैतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० वित्त का नाम	वित्त शीर्ष-01-वेहन एवं मत्स्य-09-मानदेय				वित्त शीर्ष-03-प्राथमिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री										वित्त शीर्ष-03-प्राथमिक व्यय-21-प्रचार, प्रसार, शैक्षणिक		वित्त शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय		कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹ में)	
	मत्स्य मित्तों के द्वारा शीर्ष हेतु मत्स्य कुष्कों का वेत	केच मित्तों के द्वारा मत्स्य संरक्षण एवं तकनीकी सहायता	केच मित्तों का शैतिक लक्ष्य (₹ में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹ में)	वित्तीय लक्ष्य (₹ में)	शैतिक लक्ष्य (₹ में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹ में)	शैतिक लक्ष्य (₹ में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹ में)	शैतिक लक्ष्य (₹ में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹ में)	शैतिक लक्ष्य (₹ में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹ में)	शैतिक लक्ष्य (₹ में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹ में)	शैतिक लक्ष्य (₹ में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹ में)	शैतिक लक्ष्य (₹ में)		वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	इसरीबाग	1200	0.24	2	2.62	2.50	1.00	400	2.00	2000	0.04	2000	3.00	1.00	3.00	2400	4.80	3	0.90	18.596
2	गमगड	800	0.16	2	2.62	1.00	0.40	280	1.40	2000	0.04	1000	1.50	1.00	3.00	2000	4.00	2	0.60	14.716
3	कोडरमा	1000	0.20	2	2.62	1.00	0.40	280	1.40	2000	0.04	1600	2.40	1.00	3.00	2200	4.40	2	0.60	16.056
4	बनार	800	0.16	0	0.00	1.00	0.40	310	1.55	1500	0.03	200	0.30	1.00	3.00	2000	4.00	2	0.60	11.040
5	बिकारि	1000	0.20	2	2.62	1.50	0.60	360	1.80	2000	0.04	1600	2.40	1.00	3.00	2200	4.40	3	0.90	16.956
6	गिरिडीह	800	0.16	0	0.00	0.00	0.00	250	1.25	2000	0.04	200	0.30	1.00	3.00	2200	4.40	2	0.60	10.750
7	इलाहाबाद	1000	0.20	2	2.62	1.00	0.40	340	1.70	2000	0.04	1400	2.10	1.00	3.00	2200	4.40	3	0.90	16.356
8	गोड्डा	600	0.12	0	0.00	0.50	0.20	280	1.40	1500	0.03	400	0.60	1.00	3.00	1950	3.90	2	0.60	10.850
9	बनार	1000	0.20	0	0.00	0.50	0.20	340	1.70	1500	0.03	400	0.60	1.00	3.00	2100	4.20	2	0.60	11.530
10	गजला	800	0.16	0	0.00	0.50	0.20	300	1.50	1500	0.03	200	0.30	1.00	3.00	1750	3.50	2	0.60	10.290
11	देवर	1000	0.20	2	2.62	2.50	1.00	360	1.80	2000	0.04	1000	1.50	1.00	3.00	3000	6.00	2	0.60	17.756
कुल योग :		10000	2.00	12	15.70	12	4.80	3500	17.50	20000	0.40	10000	15.00	11.00	33.00	24000	48.00	25	7.50	154.896

नोट :- कर्णाक्षित राज को अग्रदत्त नहीं समझा जाय।

(पूजा सिंघल)
 सरकार के सचिव

372

परिशिष्ट-11

वित्तीय वर्ष 2019-20 में मांग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-लघु शीर्ष-796-चनचारीय क्षेत्र उपयोजना- उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत वित्तियार शैक्षिक एवं वित्तीय लक्ष्य

वित्तीय शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री

क्र०	स्थानता / जिला का नाम	वित्तीय शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते-09-मानदेश			वित्तीय शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री			वित्तीय शीर्ष-05-प्रशासनिक व्यय-21-प्रचार, प्रसार, सेमिनार		वित्तीय शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय		कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु में)								
		मत्स्य शिर्षों के बावु आचार संहिता हेतु मत्स्य कृषकों का भत्ता	केच शिर्षों के बावु सुवर्णा संरक्षण एवं तकनीकी सहायता	विश्वीय लक्ष्य (लाख रु में)	मिश्रित मत्स्य पालन	शोभाईय विचार्य कुन	पायलट प्रोवेक्टर के खर्च में श्रमर कार्य/व्यापारि रोड के क्षेत्र का संरक्षण	चलायय स्तरीय मछुआरों के सिरे आडीटिटी कार्ड (डिटा सहेन)	कार्यालय आरि	प्रचार प्रसार सेमिनार, वेला, प्रदर्शनी, डेकप्लेटरी किरम, फोटोग्राफी आदि का वित्तीय लक्ष्य (लाख रु में)	मत्स्य कृषकों की कोष्टी		गुरफर/सम्मान							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	रंजी	900	0.18	2	2.62	2.0	0.80	340	1.70	3500	0.07	1600	2.40	1.00	3.00	3000	6.00	2	0.60	18.366
2	डूँटी	500	0.10	1	1.31	0.0	0.00	130	0.65	1000	0.02	250	0.38	1.00	3.00	2150	4.30	2	0.60	11.353
3	पुनला	900	0.18	0	0.00	5.0	2.00	250	1.25	1000	0.02	500	0.75	1.00	3.00	2350	4.70	2	0.60	13.500
4	सिमडेगा	600	0.12	1	1.31	0.5	0.20	190	0.95	1000	0.02	250	0.38	1.00	3.00	1950	3.90	2	0.60	11.473
5	लोहरदागा	600	0.12	1	1.31	1.0	0.40	180	0.90	1000	0.02	250	0.38	1.00	3.00	1950	3.90	2	0.60	11.623
6	लोहरदागा	700	0.14	0	0.00	1.0	0.40	250	1.25	1000	0.02	200	0.30	1.00	3.00	2350	4.70	2	0.60	11.410
7	पुड सिहभूम	800	0.16	1	1.31	2.0	0.80	300	1.50	1500	0.03	1000	1.50	1.00	3.00	2350	4.70	2	0.60	14.598
8	पुर्वा सिहभूम	800	0.16	0	0.00	1.0	0.40	250	1.25	1000	0.02	200	0.30	1.00	3.00	2150	4.30	2	0.60	11.030
9	सतराकेला	1000	0.20	3	3.92	1.0	0.40	340	1.70	1500	0.03	4150	6.23	1.00	3.00	2500	5.00	2	0.60	22.079
10	डुनका	1000	0.20	1	1.31	3.0	1.20	250	1.25	1500	0.03	1000	1.50	1.00	3.00	2150	4.30	2	0.60	14.388
11	जामलाडा	800	0.16	1	1.31	3.0	1.20	180	0.90	1000	0.02	200	0.30	1.00	3.00	1900	3.80	2	0.60	12.288
12	साहेबांज	800	0.16	0	0.00	1.0	0.40	160	0.80	1000	0.02	200	0.30	1.00	3.00	1600	3.20	2	0.60	9.480
13	पाकुड़	600	0.12	0	0.00	1.0	0.40	170	0.85	1000	0.02	200	0.30	1.00	3.00	1600	3.20	1	0.30	9.190
14	मत्स्य शिर्ष ५० के०, रंजी	0	0.00	0	0.00	2.0	0.80	5	0.03	3000	0.06	0	0.00	0.00	2.00	0	0.00	0	0.00	2.885
15	स० म० शि० अ०, रंजी	0	0.00	0	0.00	0.0	0.00	5	0.03	0	0.00	0	0.00	0.00	3.00	0	0.00	0	0.00	3.025
16	मत्स्य निदेशालय, रंजी	0	0.00	0	0.00	0.0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6.00	40.14	0	0.00	0	0.00	46.140
कुल योग :		10000	2.00	11	14.39	23.50	9.40	3000	15.00	20000	0.40	10000	15.00	19.00	84.14	28000	56.00	25	7.50	222.828

नोट :- कर्णालिख रंजी को आउटन नहीं समझा जाए।

(सो दो करोड़ बाईस लाख बीसवी हजार आठ सौ रु० मात्र)

(पूजा सिधल)

सरकार के सचिव

परिशिष्ट III

क्र०	स्थान / विभाग का नाम	वित्तुत शीर्ष-01-वेतन एवं मत्स्य शीर्षों के तहत आकार शीर्षाग हेतु मत्स्य कृषकों का वर्ष				वित्तुत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री				वित्तुत शीर्ष-07-अन्य व्यय-50-अन्य व्यय				कुल वित्तीय तथ्य (लाख रु० में)
		भौतिक तथ्य (शु० में)	वित्तीय तथ्य (लाख रु० में)	भौतिक तथ्य (शु० में)	वित्तीय तथ्य (लाख रु० में)	भौतिक तथ्य (शु० में)	वित्तीय तथ्य (लाख रु० में)	भौतिक तथ्य (शु० में)	वित्तीय तथ्य (लाख रु० में)	भौतिक तथ्य (शु० में)	वित्तीय तथ्य (लाख रु० में)	भौतिक तथ्य (शु० में)	वित्तीय तथ्य (लाख रु० में)	
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	2	350	0.070	0.50	0.20	100	0.50	200	0.30	180	0.36	1	0.30	1.730
3	3	200	0.040	0.00	0.00	40	0.20	0	0.00	100	0.20	0	0.00	0.440
4	4	200	0.040	0.00	0.00	50	0.25	0	0.00	140	0.28	0	0.00	0.570
5	5	150	0.030	0.00	0.00	20	0.10	0	0.00	80	0.16	0	0.00	0.290
6	6	150	0.030	0.00	0.00	40	0.20	0	0.00	100	0.20	1	0.30	0.730
7	7	150	0.030	0.00	0.00	30	0.15	0	0.00	100	0.20	1	0.30	0.680
8	8	200	0.040	0.00	0.00	30	0.15	100	0.15	100	0.20	1	0.30	0.840
9	9	200	0.040	0.00	0.00	30	0.15	0	0.00	120	0.24	1	0.30	0.730
10	10	200	0.040	0.50	0.20	50	0.25	200	0.30	130	0.26	0	0.00	1.050
11	11	200	0.040	0.00	0.00	30	0.15	100	0.15	100	0.20	1	0.30	0.840
12	12	200	0.040	0.00	0.00	30	0.15	0	0.00	80	0.16	0	0.00	0.350
13	13	150	0.030	0.00	0.00	40	0.20	0	0.00	80	0.16	0	0.00	0.390
14	14	250	0.050	0.50	0.20	70	0.35	200	0.30	180	0.36	1	0.30	1.560
15	15	200	0.040	0.50	0.20	30	0.15	100	0.15	180	0.36	1	0.30	1.200
16	16	280	0.056	0.00	0.00	50	0.25	200	0.30	150	0.30	1	0.30	1.206
17	17	180	0.036	0.00	0.00	30	0.15	100	0.15	150	0.30	0	0.00	0.636
18	18	200	0.040	0.50	0.20	50	0.25	200	0.30	180	0.36	0	0.00	1.150
19	19	200	0.040	0.50	0.20	50	0.25	100	0.15	120	0.24	0	0.00	0.880
20	20	250	0.050	0.50	0.20	45	0.23	100	0.15	150	0.30	0	0.00	0.925
21	21	150	0.030	0.00	0.00	45	0.23	100	0.15	100	0.20	0	0.00	0.605
22	22	250	0.050	0.50	0.20	30	0.15	100	0.15	100	0.20	0	0.00	0.750
23	23	240	0.048	0.00	0.00	20	0.10	100	0.15	100	0.20	0	0.00	0.498
24	24	250	0.050	0.00	0.00	60	0.30	100	0.15	200	0.40	1	0.30	1.200
	कुल योग :	5000	1.000	4.00	1.60	1000	5.00	2000	3.00	3000	6.00	10	3.00	19.600

नोट :- कर्णाकित राशि को अवरटन नहीं समझा जाय।

रज

(श्री० उन्नीस लाख साठ हजार रु० मात्र)

(पूजा सिधल)
सरकार के सचिव

परिशिष्ट IV

वित्तीय वर्ष 2019-20 में योग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग(मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुबंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत वित्तवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र०	स्थान / विला का नाम	मत्स्य बीज उत्पादकों को 03 दिवसीय प्रशिक्षण (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का भौतिक लक्ष्य)						मत्स्य बीज उत्पादकों को 03 दिवसीय कार्यशाला (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का भौतिक लक्ष्य)						05 दिवसीय प्रशिक्षण/विभाग आधारित प्रशिक्षण (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का भौतिक लक्ष्य)						वित्तीय शीर्ष-03 -प्रशासनिक व्यय		वित्तीय शीर्ष-03 -प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री (शुद्ध) (लाख ₹ में)		वित्तीय योग (लाख ₹ में)
		101- अन्तर्देशीय मछली पालन	796- अन्तर्देशीय क्षेत्र उन्मुखता	789- आरुण कृषि विभाग घटक योजना	उप योग	101- अन्तर्देशीय मछली पालन	796- अन्तर्देशीय क्षेत्र उन्मुखता	789- आरुण कृषि विभाग घटक योजना	उप योग	101- अन्तर्देशीय मछली पालन	796- अन्तर्देशीय क्षेत्र उन्मुखता	789- आरुण कृषि विभाग घटक योजना	उप योग	796- अन्तर्देशीय क्षेत्र उन्मुखता	101- अन्तर्देशीय मछली पालन	796- अन्तर्देशीय क्षेत्र उन्मुखता	15	16	17	18				
1	रांची	0	340	100	440	0	370	100	470	0	550	90	640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000				
2	खुटी	0	130	40	170	0	150	40	190	0	280	50	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000				
3	गुमला	0	250	50	300	0	270	50	320	0	450	90	540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000				
4	सिमडेगा	0	190	20	210	0	210	20	230	0	280	50	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000				
5	लेहरदागा	0	180	40	220	0	200	40	240	0	280	50	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000				
6	लाहौर	0	250	30	280	0	260	30	290	0	280	50	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000				
7	पुर्वा सिंहभूम	0	310	30	340	0	320	30	350	0	400	60	460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000				
8	पूर्वा सिंहभूम	0	250	30	280	0	260	30	290	0	400	60	460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000				
9	सरायकोला	0	340	50	390	0	350	50	400	0	460	70	530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000				
10	दुमका	0	250	30	280	0	260	30	290	0	350	60	410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000				
11	जामदाड़ा	0	180	30	210	0	190	30	220	0	260	50	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000				
12	साहेबांज	0	160	30	190	0	180	30	210	0	280	50	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000				
13	पारकुंड	0	170	40	210	0	180	40	220	0	230	50	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000				
14	इलाटीबागा	400	0	70	470	430	0	70	500	400	0	90	490	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000				
15	रोमगढ़	280	0	30	310	310	0	30	340	360	0	50	410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000				
16	कोडरमा	280	0	50	330	310	0	50	360	390	0	50	440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000				
17	रतवा	310	0	30	340	330	0	30	360	320	0	50	370	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000				
18	बोकारो	360	0	50	410	400	0	50	450	390	0	90	480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000				
19	गिरिडीह	250	0	50	300	280	0	50	330	350	0	70	420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000				
20	धनबाद	340	0	45	385	360	0	45	405	430	0	70	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000				
21	गोड्डा	280	0	45	325	300	0	45	345	310	0	50	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000				
22	पटना	340	0	30	370	360	0	30	390	300	0	70	370	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000				
23	गढ़वा	300	0	20	320	320	0	20	340	310	0	60	370	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000				
24	रंजितपुर	360	0	60	420	400	0	60	460	460	0	50	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000				
योग : भौतिक लक्ष्य		3500	3000	1000	7500	3800	3200	1000	8000	4020	4500	1480	10000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000				
मछलीपालन का वित्त (लाख ₹ में)		7.875	6.750	2.250	16.875	46.550	39.200	12.250	98.000	68.340	76.500	25.160	170.000	25.000	15.000	20.000	344.875							
योग : वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹ में)		7.875	6.750	2.250	16.875	46.550	39.200	12.250	98.000	68.340	76.500	25.160	170.000	25.000	15.000	20.000	344.875							

नोट :- कर्मांतर राशि को वादतन नहीं संस्था योग।

(योग तीन करोड़ बीस लाख सत्तसी हजार पंच सौ ₹ में)

संस्कार के माध्यम

परिशिष्ट V

वित्तीय वर्ष 2019-20 में मांग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग(मत्स्य प्रभाग)मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-
उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

369

क्र०	कार्य	1	2	3	4	5	6	7	कुल वित्तीय योग (लाख ₹ में)
		मछली प्र०के०	अनुसंधान	जमशेदपुर	हजारीबाग	बोकारो	राँची	मत्स्य निदेशालय	
क	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन								
i	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री								
1	शाहीमार मत्स्य प्रक्षेत्र में 5000 कि०मी० परस मछली का उत्पादन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹० में)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	40	0	0	0	0	0	40.00
3	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹० में)	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
4	सम्बन्धित मत्स्य पालन, रख-रखाव, नाव जाल एवं अन्य प्रायोगिक कार्य का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹० में)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
5	प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं मूजियम का रखरखाव एवं अन्य प्रायोगिक कार्य का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹० में)	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
6	विभागीय प्रक्षेत्रों में पोलिशमस मत्स्य बीज उत्पादन हेतु बुडर की तैयारी का भौतिक लक्ष्य (कि०मी०)	0	0	0	1000	1000	0	0	2000.00
7	विभागीय प्रक्षेत्रों में पोलिशमस मत्स्य बीज उत्पादन हेतु बुडर की तैयारी का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹० में)	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00
		12.00	19.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	32.00
ख	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना								
i	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री								
1	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	58	35	0	0	0	0	93
2	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹० में)	0.00	5.80	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30
3	विभागीय तालाबों में देशी मांगुर तथा कबई आदि नई प्रजातियों के प्रायोगिक पालन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹० में)	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
4	विभागीय प्रक्षेत्रों में पोलिशमस मत्स्य बीज उत्पादन हेतु बुडर की तैयारी का भौतिक लक्ष्य (कि०मी०)	1000	1000	0	0	0	1000	0	3000
5	विभागीय प्रक्षेत्रों में पोलिशमस मत्स्य बीज उत्पादन हेतु बुडर की तैयारी का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹० में)	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	1.50
	उप योग	2.50	8.30	3.50	0.00	0.00	0.50	0.00	14.80
ii	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय								
6	आई.टी. वेड कार्यक्रम का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹० में)	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	7.00
iii	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते-09-मानदेय								
7	अनुसंधान तथा जमशेदपुर केन्द्र में रंगीन मछली प्रजनन हेतु मानदेय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹० में)	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	योग : 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना;	2.50	13.80	6.00	0.00	0.00	0.50	4.00	26.80
ग	लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना								
i	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री								
1	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	35	5	0	0	0	0	40
2	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹० में)	0.00	3.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	योग : 789 - अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना	0.00	3.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	कुल योग	14.500	36.300	6.500	0.500	0.500	0.500	4.000	62.800

नोट :- कर्णांकित राशि को अर्बन्त नहीं समझा जाय।

(सो० बासठ लाख अस्सी हजार ₹० मात्र)

hmt

R

(पूजा सिंघल)
सरकार के सचिव